रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 214] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/ SHRAVANA 26, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(प्रतिलिप्यधिकार)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सं. एफ. 16-4/2012-सीआरबी/विधि-एकक.—केन्द्र सरकार प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14),(एतद्पश्चात् अधिनियम के रूप में उल्लिखित), की धारा 33 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रदर्शन अधिकार सोसायटी (आईपीआरएस) के प्रशासन में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति हेतु आदेश जारी करती है।

यत:, केन्द्र सरकार का मत है कि एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (4) और प्रतिलिप्यधिकार नियमावली, 2013 के नियम 50 के अनुसार भारतीय प्रदर्शन अधिकार सोसायटी (एतद्पश्चात् आईपीआरएस के रूप में उल्लिखित) में कथित अनियमितताओं की जांच करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रदर्शन अधिकारों के प्रबन्ध के लिए पंजीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है क्योंकि कथित अनियमितताएं अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 33, 34 और 35 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया उल्लंघन हैं।

और, यत:, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए लेखकों और रचयिताओं को अवैध शर्तें लगाते हुए रायल्टियों का वितरण न करना, आईपीआरएस द्वारा रायल्टी के संग्रहण के लिए अवैध उप-अनुज्ञता से राजस्व को हानि पहुंचाना; आईपीआरएस से फोनोग्राफिक परफार्मेन्स लि. (एतद्पश्चात् पीपीएल के रूप में उल्लिखित) द्वारा यांत्रिक अधिकारों और रिंगटोन रायल्टियों का अवैध अंतरण करना, प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी को ध्वनि रिकार्ड करने के अधिकार देना, जाली हस्ताक्षर या आईपीआरएस प्रशासन द्वारा मंत्रालय को मिथ्या निरूपण और अपने पुन:पंजीकरण के लिए आईपीआरएस द्वारा कॉपीराइट नियम, 2013 का पालन न करना;

और, यत:, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आईपीआरएस के प्रशासन में अनियमितताओं की जांच के लिए लेखक और रचयिता आईपीआरएस सदस्यों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

और यत: माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने आईपीआरएस द्वारा अपने विरूद्ध अन्य बातों के साथ-साथ 27वीं फरवरी 2014 के आदेश द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए जो दो सिविल रिट याचिकाएं 1499/2014 और 1529/2014 दायर की थीं,

उन्हें इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया कि *"उपर्युक्त को देखते हुए हम याचिका को जहां तक कि प्रार्थी ने भारत सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया मत बनाने के सम्बन्ध में 27वीं फरवरी, 2014 के आदेश को चुनौती दी है कि अधिनियम और नियमों के कथित उल्लंघनों के विरूद्ध प्रार्थी सोसायटी के विरूद्ध जांच करनी आवश्यक है, को स्वीकार नहीं करते। भारत सरकार को मामले में अभी अंतिम निर्णय लेना है। अत: हमारा विचार है कि याचिकाएं अपरिपक्व हैं और इस आधार पर खारिज करने योग्य हैं"।*

2. अत:, अब केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. वाई.पी.सी. डांगे, सेवा-निवृत्त संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को आईपीआरएस के प्रशासन में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (4) और प्रतिलिप्यधिकार नियमावली, 2013 के नियम 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त करती है। प्रतिलिप्यधिकार नियमावली, 2013 के नियम 51 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत जांच अधिकारी जांच में सहायता करने के लिए एक लेखा परामर्शदाता और एक विधिक सहायक भी रख सकता है।

3. जांच के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :

(i) लेखकों और रचनाकारों को अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में अवैध शर्तें लगाते हुए रायल्टियों का गैर-वितरण, आईपीआरएस प्रशासन द्वारा यांत्रिक अधिकारों और रिंगटोन रायल्टियों का फोनोग्राफिक परफार्मेन्स लि. को अवैध अंतरण, ध्वनि रिकार्डिंग अधिकारों का कॉपीराइट सोसायटी द्वारा प्रबन्ध; जाली हस्ताक्षर या आईपीआरएस द्वारा मंत्रालय को मिथ्या निरूपण और आईपीआरएस द्वारा अपने पुन: पंजीकरण के लिए प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 का पालन न करने के कारण;

(ii) जांच अधिकारी के साथ जांच आरम्भ होने के 15 दिनों के भीतर आईवीआरएस की ओर से असहयोग करने की दशा में आईपीआरएस के पंजीकरण के मामले में केन्द्र सरकार को समुचित कार्रवाई सुझाना तथा यह भी कि क्या जांच की अवधि के लिए आईपीआरएस में प्रशासक की नियुक्ति की जानी है;

(iii) आईपीआरएस के प्रशासन में सुधार के उपाय सुझाना :

(iv) ऐसा सुझाव देना कि क्या फोनोग्राफिक परफार्मेन्स लि. के विरूद्ध भी जो प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पंजीकृत एक प्रतिलिप्यधिकार सोसायटी है, आईपीआरएस के प्रशासन की अनियमितताओं में उसकी कथित भूमिका की जांच करनी पड़ेगी;

(v) साथ ही ऐसी सिफारिश करते हुए जांच अधिकारी को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 5829/2013 (पीपीएल बनाम एमएचआरडी और अन्य) में पारित आदेश दिनाँक 13वीं सितम्बर, 2013 के पहलुओं की जांच करनी पड़ेगी जिसके द्वारा याचिकाकर्ता (पी.पी.एल) को निदेशित किया गया था कि "इस बीच प्रार्थी को विशेष अधिकारी प्रतिलिप्यधिकार, प्रतिलिप्यधिकार प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी पेपर बुक से पृ. 25 और 26 पर दिनांक 31.05.2013 के दो ज्ञापनों के अनुसरण में कार्रवाइयों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है"।

4. जांच के चलते जांच अधिकारी को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत शक्तियां व अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त होंगी और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत मुकदमे की सुनवाई करते हुए, उसके पास एक सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।

5. जांच के चलते हुए जांच अधिकारी और उसके दल के सदस्य जांच अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत संरक्षित रहेंगे और इस जांच की पैरवी करते हुए सदाशयता से किसी भी सम्बन्ध में उनके विरूद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

6. लेखा सलाहकार और विधिक सहायक सहित जांच अधिकारी की नियुक्ति के विचारार्थ विषय प्रयोजन के लिए अलग से जारी संस्वीकृत आदेश के अनुसार होंगे।

7. जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट यथासंभव यथाशीघ्र केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा लेकिन प्रथम बैठक की तारीख से तीन माह बाद नहीं। तथापि, यदि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो उपर्युक्त तीन माह की अवधि प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 के नियम 51 उप-नियम (3) के अनुसार आगे बढ़ायी जा सकती है।

8. जांच अधिकारी, आवश्यक समझे जाने पर, उक्त तारीख से पूर्व उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी मामले पर केन्द्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

9. जांच अधिकारी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। तथापि आवश्यक समझे जाने पर जांच अधिकारी और उसका दल जांच के अनुसरण में देश के भीतर किसी स्थान का दौरा कर सकेगा।

10. यह अधिसूचना क्रमश: 27 फरवरी, 2014 और 18 जून, 2014 के पूर्व प्रशासनिक आदेशों के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(COPYRIGHT DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

No. F. 16-4/2012-CRB/Leg.Unit.—In exercise of the powers conferred under clause 4 of section 33 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby issues an order of appointment of Inquiry Officer to inquire into alleged irregularities in administration of the Indian Performing Rights Society (IPRS):

Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint an Inquiry Officer under clause (4) of section 33 of the Act and rule 50 of the Copyright Rules, 2013 for the purpose of making an enquiry into alleged irregularities in the Indian Performing Right Society (herein after referred to as the IPRS), a Copyright Society to manage performing rights registered under section 33 of the Act, as the alleged irregularities are *prima facie* violations against the section 33, 34 and 35 of the Act and the Rules framed thereunder;

And, whereas, non-distribution of royalties to authors and composers by imposing illegal conditions in violation of the Act and the rules framed thereunder; illegal sub-licensing of collection of royalties by IPRS by causing loss of revenue; illegal transfer of mechanical rights and ringtones royalties by IPRS to Phonographic Performance Limited (herein after referred to as the PPL), a copyright society to manage sound recording rights; forgery of signatures or misrepresentation by IPRS administration to the Ministry and reasons for non-compliance of the Copyright Rules, 2013 by IPRS for its re-registration;

And, whereas, the Copyright Office, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development has received many complaints from author and composer members of IPRS to inquire into irregularities in the administration of IPRS;

And, whereas, Hon'ble Bombay High Court has dismissed two Civil Writ Petitions 1499/2014 and 1529/2014 filed by the IPRS challenging, *inter alia*, the order dated 27th February, 2014 appointing an Inquiry Officer against it, with observations *"In view of the above, we are not inclined to entertain the petitions in so far as the petitioner has challenged the order dated 27th February, 2014 regarding formation of prima facie opinion by the Government of India that, it is necessary to conduct an enquiry against the petitioner society in respect of the alleged violations of the Act and the rules. The Government of India is yet to take a final decision in the matter. We are, therefore, of the view that the petitions are premature and liable to be dismissed on this ground".*

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 33 of the Act and rule 50 of the Copyright Rules, 2013, the Central Government hereby appoints DR. Y.P.C. Dangey, a retired Joint Secretary and Legal Advisor, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India as an Inquiry Officer to inquire into the alleged irregularities in administration of IPRS. Under sub-rule (2) of rule 51 of the Copyright Rules, 2013, the Inquiry Officer may engage an Account Consultant and may also engage a Legal Assistant to assist him in the enquiry.

3. The terms of reference of the enquiry are as follows:-

(i) to inquire into non-distribution of royalties to authors and composers by imposing illegal conditions in violation of the Act and the rules framed thereunder, illegal transfer of mechanical rights and ringtones royalties by IPRS to Phonographic Performance Limited, a copyright society to manage sound recording rights; forgery of signatures or misrepresentation by IPRS administration to the Ministry and reasons for non-compliance of the Copyright Rules, 2013 by IPRS for its re-registration;

(ii) in case of non-co-operation from IPRS with the Inquiry Officer, within 15 days of commencement of the enquiry to suggest to the Central Government appropriate course of action regarding the issue of registration of IPRS and also to suggest as to whether an administrator has to be appointed in IPRS during the period of enquiry;

(iii) to suggest measures to improve the administration of IPRS;

(iv) to suggest as to whether an inquiry has to be constituted against the Phonographic Performance Limited, a Copyright Society registered under section 33 of the Act, also for its alleged role in irregularities in administration of IPRS;

(v) However, while making such recommendation, the Inquiry Officer has to examine the aspect of an order dated 13th September, 2013 passed by Hon'ble Delhi High Court in WPC No. 5829/2013 (PPL vs MHRD and others) directing the petitioner (PPL) *"in the meanwhile, the petitioner need not participate in the proceedings pursuant to two Memorandums dated 31.05.2013 at pages 25 and 26 of the paper book issued by the Special Officer, Copyright in the Copyright Division of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development;*

4. While conducting the enquiry, the Inquiry Officer shall derive his powers and additional powers under sections 4 and 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 and shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908.

5. During currency of the enquiry, the Inquiry Officer and his team members shall remain protected under section 9 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 and no suit or other legal proceeding shall lie against them in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this enquiry.

6. The terms and conditions of appointment of the Inquiry Officer including Account Consultant and Legal Assistant shall be in accordance with the sanction order issued separately for the purpose.

7. The Inquiry Officer shall submit his report to the Central Government as soon as possible, but not later than three months from the date of first sitting. However, if considered necessary by the Central Government the said period of three months may be extended further in accordance with sub-rule (3) of rule 51 of the Copyright Rules, 2013.

8. The Inquiry Officer may, if deemed necessary, make an interim report to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph-2 above.

9. The Headquarters of the Inquiry Officer shall be at New Delhi. However, if deemed necessary, the Inquiry Officer and his team may visit any place within the country in pursuance of the enquiry.

10. This Notification being issued in supersession of the earlier administrative orders of even number dated the 27th February, 2014 and 18th June, 2014 respectively .

S. P. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.